रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216578 CG-DL-E-06032020-216578

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार स प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] No. 136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

# आय-कर

सा.का.नि. 159 (अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग में, खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vक) किसी ऐसी कंपनी की -

1284 GI/2020 (1)

- (अ) जो भारत और विदेशों में खुदरा संदाय प्रणाली या डिजिटल संदाय निपटान या ऐसे समान क्रियाकलापों के ऐसे प्रचालन में लगी हुई है और जो इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है ; और
- (आ) जिसके साधारण शेयरों का कम से कम इक्यावन प्रतिशत भारत के राष्ट्रीय संदाय निगम द्वारा धारित हैं।

साधारण अंश पूंजी या बंधपत्रों या डिबेंचरों में, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया विनिधान।"

[अधिसूचना सं.15/2020/ फा.सं.370142/5/2020-टीपीएल] नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ.969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 124(अ) तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2020

## **INCOME-TAX**

- **G.S.R. 159(E).** –In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (5) of section 11 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Income-tax (7<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 17C, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely: -
  - "(va) investment made by a person, authorised under section 4 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, in the equity share capital or bonds or debentures of a company
    - (A) which is engaged in operations of retail payments system or digital payments settlement or similar activities in India and abroad and is approved by the Reserve Bank of India for this purpose; and
  - (B) in which at least fifty-one per cent of equity shares are held by National Payments Corporation of India."

[Notification No. 15/2020/ F.No. 370142/5/2020-TPL] NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 124(E) dated the 17<sup>th</sup> February, 2020.